ment of the infectious sputum posi-1 tive cases with supervised short course chemotherapy in order to reduce the risk of infection.

**Setting up of Nursing Homes in Delhi by business houses**

5653. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether an increasing number of business houses are setting up nursing homes in Delhi as part of their business ventures;

(b) whether many of these nursing homes are charging exorbitant fees from the patients and the services are not upto the standard; and

(c) what action has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) Government of National Capital Territory of Delhi has informed that out of 124 registered nursing homes, 7 have been set up by business houses.

(b) No such complaint has been received by Government of National Capital Territory of Delhi.

(c) Does not arise.

**Epilepsy as a ground for Divorce**

5654. SHRI V. RAJESHWAR RAO :
DR. SHRIKANT RAM-CHANDRA JICHKAR *i*

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be plea-ed to state :

(a) whether Epilepsy is still a ground for divorce under the Indian divorce laws ;

(b) whether the world Congress of Neurology held in New Delhi in 1989-90 had recommended the withdrawal of epilepsy as a ground for divorce; and

(c) what steps Government have taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA) : (a) Under the Hindu Marriage Act, 1955 as well as the Special Marriage Act, 1954 having recurrent attacks of insanity or epilepsy at the time of marriage is a ground for grant cf a decree of nullity of the marriage.

(b) Yes, Sir.

(c) The Government have consulted the State Governments/Union Territory Administration on the proposal to delete reference to epilepsy in the Hindu Marriage Act, 1955 and the Special Marriage Act, 1954. The matter is under active consideration and a decision will be taken in consultation with the other concerned Ministries.

**यूनानी दवाइयों के लिए क्रय मंत्रणा समिति**

**5655. मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनानी दवाओं के संबंध में क्रय मंत्रणा समिति का वर्तमान स्वरूप और संघटन क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त समिति में वरिष्ठ डाक्टरों को शामिल नहीं किया गया है ;

(ग) उक्त समिति में लोगों को शामिल करने के लिए मानदंड क्या है ;

(घ) क्या इस संबंध में कतिपय आपत्तियां भी प्राप्त हुई हैं ;

(ङ.) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा)** : (क) से (ग) क्रय सलाहकार समिति में अध्यक्ष सहित आठ सदस्य शामिल हैं । अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य (क्रम सं० 1–5) उनके द्वारा धारित पदों की हैसियत से नियुक्त किए जाते हैं तथा शेष तीन (क्रम सं० 6–8') सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकों सहित यूनानी चिकित्सक हैं जैसा कि निम्नलिखित संगठन में देखा जा सकता है :–

| | |
|---|---|
| (1) अपर निदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , मुख्यालय) | अध्यक्ष |
| (2) अपर निदेशक (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, एम०एस०डी०) | सदस्य |
| (3) अपर निदेशक (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, सी० जैड) | सदस्य |
| (4) सलाहकार (यूनानी ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | सदस्य |
| (5) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मैडिकल स्टोर डिपो) | सदस्य सचिव |
| (6) तकनीकी सदस्य | |
| (7) तकनीकी सदस्य | |
| (8) तकनीकी सदस्य | |

(घ) जी हां ।

(ङ.) डा० एम० शामून यूनानी चिकित्सक के क्रय सलाहकार समितियों में उनका नाम शामिल न किए जाने के संबंध में आपत्ति प्राप्त हुई थी ।

(च) चूंकि डा० शामून दो वर्ष तक सदस्य रहे थे इसलिए उनकी आपत्ति मान्य नहीं थी ।

**चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिलों के संबंध में नए दिशानिर्देश**

5656. **मौलना अबदुल्ला खान आजमी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिलों और शुल्क के संबंध में सरकार द्वारा नए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस तरह के दिशानिर्देश कब जारी किए गए हैं ; और उनका क्या ब्यौरा है ; और

(घ) इन दिशानिर्देशों की कडाई से लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा)** : (क) से (घ) सरकार प्राइवेट व्यावसायिक कालेजों में दाखिलों और शुल्क को विनियमित करने वाले दिशानिर्देशों पर सक्रियता पूर्वक विचार कर रही है।